

# भारतीय मत्स्य-क्षेत्र अधिनियम, 1897

(1897 का अधिनियम संख्यांक 4)<sup>1</sup>

[4 फरवरी, 1897]

<sup>2\*\*\*</sup> मत्स्य-क्षेत्र से संबंधित कतिपय मामलों के  
लिए उपबन्ध करने हेतु  
अधिनियम

मत्स्य-क्षेत्र से संबंधित कतिपय मामलों के लिए उपबन्ध करना समीचीन है;

अतः एतद्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. नाम और विस्तार—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय मत्स्य-क्षेत्र अधिनियम, 1897 है।

(2) इसका विस्तार <sup>3</sup>[उन राज्यक्षेत्रों] के सिवाय <sup>4\*\*\*</sup> सम्पूर्ण भारत पर है <sup>3</sup>[जो 1956 के नवम्बर की पहली तारीख के ठीक पूर्व भाग 'ख' राज्यों में समाविष्ट थे] <sup>5\*\*\*</sup>

5\*

\*

\*

\*

\*

2. अन्य मत्स्य-क्षेत्र विधियों के अनुपूरक रूप में अधिनियम का पढ़ा जाना—‘साधारण खण्ड अधिनियम, 1887 (1887 का 1) की धारा 8 तथा 10 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, <sup>4\*\*\*</sup> [जिन राज्यक्षेत्रों पर इस अधिनियम का विस्तार है] उनमें मत्स्य-क्षेत्र से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमित<sup>6</sup> के अनुपूरक रूप में इस अधिनियम को पढ़ा जाएगा।

3. परिभाषा—इस अधिनियम में जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई विरुद्ध बात न हो,—

(1) “मत्स्य” के अन्तर्गत जलीय कवच प्राणी भी है;

(2) “स्थिर उपकरण” से मत्स्य पकड़ने के लिए भूमि में स्थिर या किसी अन्य प्रकार से निश्चल किया हुआ जाल, पिंजर, पाश या अन्य प्रयुक्ति अभिप्रेत है; और

(3) “निजी जल-क्षेत्र” से ऐसा जल-क्षेत्र अभिप्रेत है, जो अनन्यतः किसी व्यक्ति की संपत्ति है या जिसमें किसी व्यक्ति का तत्समय मत्स्य पकड़ने का अनन्यतः अधिकार है चाहे वह स्वामी के रूप में, पटेदार के रूप में या किसी अन्य हैंसियत में हो।

स्पष्टीकरण—इस परिभाषा के अर्थ में, केवल इस कारण कि अन्य व्यक्तियों का उस जल-क्षेत्र में मत्स्य पकड़ने का रूढ़ि के आधार पर अधिकार है, उसका “निजी जल-क्षेत्र” होना समाप्त नहीं हो जाएगा।

4. अन्तर्देशीय जल-क्षेत्र में और तट पर विस्फोटकों से मत्स्य का नाश—(1) यदि कोई व्यक्ति किसी जल-क्षेत्र में मत्स्य पकड़ने या नष्ट करने के आशय से कोई डायनेमाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थ को प्रयोग में लाता है तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दो मास तक की हो सकेगी, या जुमानि से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

<sup>1</sup> यह अधिनियम :—

(1) 1965 के विनियम सं० 8 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा (1-10-1967 से) लक्ष्यापन पर,  
(2) 1962 के विनियम सं० 12 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा गोवा, दमण और दीव पर  
(3) 1963 के विनियम सं० 7 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा (1-10-1963 से) पांडिचेरी पर,

विस्तारित किया गया।

यह अधिनियम निम्नलिखित पर लागू होने से निरसित किया गया :—

(1) मध्य प्रान्त और बरार मत्स्य-क्षेत्र अधिनियम, 1948 (1948 का मध्य प्रान्त और बरार अधिनियम सं० 8) द्वारा मध्य प्रदेश पर,  
(2) 1955 के मैसूर अधिनियम सं० 14 द्वारा बेलारी जिले पर,  
(3) 1961 के महाराष्ट्र अधिनियम सं० 1 द्वारा मुम्बई क्षेत्र पर।

<sup>2</sup> विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा “प्रान्तों में” शब्दों का लोप किया गया।

<sup>3</sup> विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा “भाग ख राज्यों” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>4</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “वर्मा के सिवाय” शब्द निरसित।

<sup>5</sup> 1914 के अधिनियम सं० 10 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा उपधारा (2) के अंत में आने वाला शब्द “और” और उपधारा (1) निरसित।

<sup>6</sup> अब साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 4 और 26 देखिए।

<sup>7</sup> विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा “भाग के राज्य या भाग ख राज्य” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>8</sup> मत्स्य-क्षेत्रों से संबंधित विधि के लिए—

(1) असम में, देखिए असम भूमि और राजस्व विनियम, 1886 (1886 का 1) की धारा 16 और धारा 155;  
(2) बंगाल और असम (निजी मत्स्य-क्षेत्र) में देखिए, निजी मत्स्य संरक्षण अधिनियम, 1889 (1889 का बंगाल अधिनियम 2);  
(3) नीलगिरि जिले में जलवायु के अनुकूल मत्स्य के विषय में, देखिए नीलगिरि खेल और मत्स्य परिक्षण अधिनियम, 1879 (1879 का मद्रास अधिनियम सं० 2);  
(4) पंजाब में, देखिए पंजाब मत्स्य-क्षेत्र अधिनियम, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम सं० 2)।

(2) उपधारा (1) में, “जल-क्षेत्र” में समुद्र तट से एक समुद्रीय लीग की दूरी के भीतर का समुद्र अन्तर्विष्ट है और उस उपधारा के अधीन ऐसे समुद्र में किए गए अपराध का विचारण किया जा सकेगा, उसके लिए दण्ड दिया जा सकेगा, और सभी मामलों में उसके संबंध में ऐसी कार्यवाही की जा सकेगी मानो वह ऐसे तट से लगी हुई भूमि पर किया गया हो।

5. जल-क्षेत्र को विषाक्त करने से मत्स्य का नाश—(1) यदि कोई व्यक्ति किसी जल-क्षेत्र में, मत्स्य पकड़ने या नष्ट करने के आशय से कोई विष, चूना या अपायकर पदार्थ डालता है तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दो मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(2) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में इस धारा का प्रवर्तन निलम्बित कर सकेगी और वैसी ही रीति से किसी ऐसी अधिसूचना को उपान्तरित या रद्द कर सकेगी।

6. चुने गए जल-क्षेत्र में राज्य सरकार के नियमों द्वारा मत्स्य का संरक्षण—(1) राज्य सरकार, इस धारा में, इसमें इसके पश्चात् वर्णित प्रयोजनों के लिए नियम<sup>1</sup> बना सकेगी और राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे जल-क्षेत्र को, जो निजी जल-क्षेत्र नहीं हैं, ऐसे सभी नियमों को या उनमें से किसी नियम को लागू कर सकेगी, जैसा राज्य सरकार उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे।

(2) राज्य सरकार वैसी ही अधिसूचना द्वारा ऐसे नियमों को या उनमें से किसी नियम को किसी निजी जल-क्षेत्र को भी उसके स्वामी की और तत्समय उसमें मत्स्य पकड़ने का अनन्यतः अधिकार रखने वाले सभी व्यक्तियों की लिखित सम्मति से लागू कर सकेगी।

(3) ऐसे नियम निम्नलिखित मामलों में सभी या उनमें से किसी मामले को प्रतिषिद्ध या विनियमित कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) स्थिर उपकरणों का लगाना तथा उपयोग,

(ख) वियर बनाना, तथा

(ग) उपयोग किए जाने वाले जालों की लम्बाई-चौड़ाई तथा प्रकार और उनके उपयोग के ढंग।

(4) ऐसे नियम किसी विनिर्दिष्ट जल-क्षेत्र में दो वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए सभी मत्स्य पकड़ने का कार्य भी प्रतिषिद्ध कर सकेंगे।

(5) इस धारा के अधीन नियम बनाने में राज्य सरकार—

(क) निदेश दे सकेगी कि नियम का भंग जुर्माने से, जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, और जहां कि भंग जारी रहता है, वहां ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान भंग जारी रखा जाना सावित हुआ है, दस रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा, तथा

(ख) (i) नियम के उल्लंघन में लगाए गए या प्रयुक्त स्थिर उपकरणों या प्रयुक्त जालों के अभिग्रहण, समपहरण तथा हटाने के लिए, और

(ii) किसी ऐसे स्थिर उपकरण या जाल के माध्यम से निकाले गए मत्स्य के समपहरण के लिए,

उपबन्ध कर सकेगी।

(6) इस धारा के अधीन नियम बनाने की शक्ति इस शर्त के अधीन है कि वे पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाए जाएंगे।

7. इस अधिनियम के अधीन किए गए अपराधों के लिए बिना वारण्ट गिरफ्तारी—(1) कोई पुलिस आफिसर या राज्य सरकार द्वारा इस नियम या तो नाम से या तत्समय कोई पद धारण करने वाले के रूप में विशेष रूप से सशक्त<sup>2</sup> अन्य व्यक्ति, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना तथा वारण्ट के बिना धारा 4 या 5 के अधीन या धारा 6 के अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के अपने सामने करने वाले किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा—

(क) यदि उस व्यक्ति का नाम तथा पता उसको ज्ञात नहीं है, और

(ख) यदि वह व्यक्ति अपना नाम और पता देने से इन्कार करता है या यदि दिया गया नाम या पता सही होने में संदेह के लिए कारण है।

(2) इस धारा के अधीन गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को तब तक निरुद्ध रखा जा सकेगा जब तक उसका नाम और पता सही रूप से अभिनिश्चित नहीं कर लिया जाता :

परन्तु इस प्रकार गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को, उससे अधिक समय तक निरुद्ध नहीं रखा जाएगा, जो उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाने के लिए आवश्यक हो, सिवाय तब जब कि मजिस्ट्रेट द्वारा निरुद्ध रखने की आज्ञा दी गई हो।

<sup>1</sup> धारा 6 के अधीन नियमों के लिए, देखिए विभिन्न स्थानीय नियम और आदेश।

<sup>2</sup> मद्रास में इस धारा के अधीन अधिसूचनाओं के लिए देखिए फोर्म सैट जार्ज गजट, 1903, भाग 1, पृ० 19।